राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक–:PS/PSJ/2005/15/168से 176 जयपुर, दिनांक–: 13/10/06

::–परिपत्र–:

समस्त
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
.....

विषय–न्यायिक प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/ निर्णय की सूचना न्याय विभाग को भेजने के संबंध में। (आर्डर अलर्ट–पीले कलर में)

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षरों से जारी समसख्यक अ.शा.टीप क्रमांक 493 से 545 दिनांक 14–02–2006 के द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिवों /सचिवों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने नियन्त्रणाधीन विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देश देवे कि प्रभारी अधिकारीगण, राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्तशासी संस्थायें/निगम/बोर्ड से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते ही निर्णय की सूचना उक्त अ. शा.टीप के साथ संलग्न फोर्मेट (अनेक्चर–ए) में भिजवायें, साथ ही न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए कार्यवाही आरम्भ करें।

न्याय विभाग के यह ध्यान में आया है कि उक्त निर्देशों के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय की सूचना अपूर्ण भेजी जा रही है, इसमें यह अंकित नहीं किया जाता है कि निर्णय राज्य पक्ष में है या विरूद्व, सूचना में पक्षकारों का नाम अंकित नहीं किया जाता है।

अतः कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि प्रभारी अधिकारीगण, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा आदेश/निर्णय पारित होते ही इसकी सूचना पक्षकारों का नाम, प्रकरण संख्या, निर्णय राज्य पक्ष में है अथवा विरूद्व, अंकित कर, संलग्न प्रफोर्मा–ए में भिजवायें।

प्रमुख शासन सचिव